भूमण्डलीकरण के दौर में उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय राजनीति
(1991 से अब तक)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,लखनऊ से
राजनीति विज्ञान विषय में पीएच०डी०
की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध संक्षिप्तिका

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करूणा
ESTABLISHED 1996

शोध पर्यवेक्षक
प्रो0 रिपु सूदन सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोधकर्ता
अवनीश कुमार गौतम
नामांकन संख्याः 1275/15
राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ–226025
2021

शोध संक्षिप्तिका

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्व के जनजीवन को पर्यावरणीय समस्याओं से बचाये रखना है, जनजीवन को सर्वाधिक खतरा बदलते हुए पर्यावरण से है। पर्यावरण में बदलाव होने के कारण जहॉ वर्तमान जनजीवन को बचाये रखने की चुनौती है वहीं पर हमारी भविष्य की पीढ़ियॉ भी इससे बहुत दुष्प्रभावित होगी, इस समय जहॉ वर्तमान जनजीवन को बचाये रखना, वहीं पृथ्वी की भावी पीढ़ियों के जीवन को भी सुरक्षा प्रदान करना है वरना कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी वर्तमान ऐशो आराम के लिये भावी जीवन को दुर्लभ बना ले।

हमारे देश में भी स्वतंत्रता के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के अपनाने के फलस्वरूप विशेषकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्यौगिकीकरण को अपनाया गया, जिससे पर्यावरणीय समस्यायें जन्म लेने लगी। भारत में सन् सत्तर के दशक में खाद्यान की समस्या उत्पन्न हुई, उस समय खाद्यान फसलों को बढ़ावा देने के लिये हरित क्रान्ति कार्यक्रम अपनाया गया जिससे खाद्यान उत्पादन में तो वृद्धि हुयी, परन्तु कृषि क्षेत्रफल का विस्तार होने से वनों के विनाश में तेजी आयी।

सन् 1970 के उपरान्त भारत में पर्यावरणीय चिन्तन को लेकर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसके चलते सन् 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसके द्वारा वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगायी गयी एवं इसके साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण हेतु वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों एवं अभयारण्यों की स्थापना पर जोर दिया गया। सन् 1974 में भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया,जिसका मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए जल प्रदूषण पर नियन्त्रण लगाना था। इसी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये 1977 में जल प्रदूषण पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से 1980 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया।

1991 के दिसम्बर माह में सोवियत यूनियन के पतन से उत्पन्न शीतयुद्ध की समाप्ति का राष्ट्रीय और वैश्विक राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। जहॉ वैश्विक

संदर्भ में द्विध्रुवीकरण का अन्त हुआ और विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में सत्ता का एक केन्द्र विकसित हुआ, वहीं पर समूची दुनिया में भूमण्डलीकरण की शुरूआत हुयी। इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय राजनीति की तमाम नीतियों को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रक्रिया का जबर्दस्त प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय राजनीति पर स्पष्ट रूप से तो पड़ा ही तमाम राज्य सरकारें भी इससे अछूती नहीं रहीं।

भूमण्डलीकरण के पश्चात् राष्ट्रों के मध्य अवरोध की जंजीरे तोड़ दी गयी। विश्व में उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा, राष्ट्रों ने तीव्र विकास हेतु अधिक से अधिक अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप विश्व में औद्यौगिकीकरण को तीव्र बढ़ावा मिला एवं औद्योगिकीकरण का बढ़ावा होने से राष्ट्रों के विकास की गति तीव्र हुई। विश्व के लगभग सभी देशों ने पर्यावरण की चिंता को दरकिनार कर अपने प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुन्ध दोहन किया, जिसके फलस्वरूप विश्व में पर्यावरण का संतुलन तेजी से बिगड़ने लगा तथा भूमण्डलीकरण के पश्चात् विश्व में जल संकट, वायु संकट, बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओजोन परत का ह्रास एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्यायें बढ़ने लगी। इन सभी में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विश्व में सबसे बड़ी समस्या उभरकर सामने आयी, जिसका दुष्प्रभाव प्रत्येक स्तर पर देखा गया। यहीं से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण को लेकर राष्ट्रों के मध्य राजनीति तेज हुयी।

भूमण्डलीकरण से पहलेपर्यावरण संरक्षण पर राजनीति केवल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा थी लेकिन इसके पश्चात् अब यह राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दा भी बन चुकी है। भारत में भूमण्डलीकरण के पश्चात् पहचान की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके चलते जाति और धर्म केन्द्रित राजनीति की शुरूआत हुयी। 1989 के चुनाव में केन्द्र में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व समाप्त हो गया और अनेक दलों के धड़ों के मिश्रण के रूप में जनता दल सत्ता में आरूढ़ और उसी के बाद मिलीजुली और गठबन्धन की सरकारों के युग का सूत्रपात हुआ। 1991 में राजीव गॉधी की निर्मम हत्या के पश्चात् जोकि कॉग्रेस पार्टी सत्ता में आयी, पर एक कमजोर स्थिति में ही रही। पर वैश्विक बदलाव और दवाब के चलते कमजोर कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के

प्रधानमंत्रित्व में भारत में उदारीकरण की नीति को भी अपनाया। केन्द्र में तो कांग्रेस रही पर राज्यों में गठबन्धन की राजनीति के चलते क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनी जिसके चलते उन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सरकार आने के पश्चात् देश के संसाधनों का दोहन इस प्रकार से करना आरम्भ किया जिससे कि जहॉ एक ओर वे सभी अपने अपने राज्यों में विकास कर सके तथा साथ ही उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। उन्होंने ऐसी नीतियॉ एवं कानून पास करवाये जिससे उनका यथार्थ सिद्ध हो। यही से भूमण्डलीकरण की अंधी दौड़ में भारत में पर्यावरण का क्षय और विनाश होने लगा एवं पर्यावरणीय समस्याओं में अनावश्यक वृद्धि हुई। अब पर्यावरण संरक्षण चिन्ता का विषय नहीं रहा वरन् पर्यावरण का प्रयोग अपने निहित राजनीतिक फायदों हेतु किया जाने लगा।

भूण्डलीकरण के पश्चात् उत्तर प्रदेश के राजनीति परिदृश्य में परिवर्तन आया यहॉ पर भाजपा, सपा एवं बसपा का वर्चस्व बना रहा। ज्यादातर बसपा एवं सपा पार्टी की सरकारें आयी जिन्होंने लगभग जो भी नीतियॉ एवं कानून बनाये उनका मुख्य मकसद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थ ही रहा। इन सभी ने पर्यावरण की चिन्ता को दरकिनार किया लेकिन फिर भी जाने–अनजाने में ही भूमण्डलीकरण के दौर में पर्यावरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बन गयी है। पर्यावरण का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है इसके अन्तर्गत पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु, संस्कृति एवंहम सभी लोग आ जाते है सरकारों द्वारा जो भी निर्णय लिये जाते है उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव इनमें से किसी न किसी पर अवश्य पड़ता है।

पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सर्वाधिक भय पर्यावरण के असंतुलन से ही है। दैनिक जीवन में प्राकृतिक दोहन की अधिकता से पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह गया है। प्रदूषण के कारण चतुर्दिक व्याप्त विषाक्तता से जीवन का संकट गहराता जा रहा है। अकल्पित व अचिन्तित रोगों की उत्पत्ति साध्य–साध्यता की विवेचनाएं सभी शोधों के बाद भी अपर्याप्त हो रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में पर्यावरण से सीधा सम्बन्ध रखने वाले तत्वों पर विधिवत

विवेचना की गई है। उन तत्वों में जैसे पार्क, एक्सप्रेसवे तथा खनन आदि हैं और इन सभी का सीधा सरोकार पर्यावरण से ही है।

उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के पश्चात् यथार्थ की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया गया है उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक पार्टियों ने अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति हेतु राजनीति के यथार्थवादी पक्ष को अपनाया है। वर्तमान समय में जो भी नीतियॉ बनायी जाती है उनका इनके निजी स्वार्थ से सापेक्ष–सम्बन्ध होता है यही कारण है कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की चिन्ता को दरकिनार कर अपने स्वार्थ की पूर्ति की जाती है राजनीतिक दलों के इसी स्वार्थमय भावना के कारण प्रदेश में पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न हो रही है।

शोध प्रश्न (Research Questions)-

1. प्रदेश में पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं?
2. प्रदेश में पर्यावरण हास में क्या सरकारें ही जिम्मेंदार रही हैं?
3. भूमण्डलीकरण से प्रदेश में पर्यावरण को लाभ पहुचा है या हानि?
4. क्या सरकारें प्रदेश में राजनीतिक स्वार्थवश ही पर्यावरणीय संरक्षण कार्यक्रमों में रूचि ले रही हैं?
5. राजनीति एवं पर्यावरण दोनों किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे है ?
6. उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम अपने उदेश्यों की पूर्ति में कहॉ तक सफल है ?

उद्देश्य (Objectives)–

1. पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना।
2. समावेशी विकास के प्रति जागरूकता फैलाना।
3. पर्यावरण हितैषी तकनीकों को प्रोत्साहित करना।
4. पर्यावरण के उत्थान में राजनीतिक दलों के योगदान का अध्ययन करना।
5. पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का सरकारी नीतियों के सन्दर्भ में अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं (Hypothesis)-

1. पर्यावरण की राजनीति और पर्यावरण को लेकर राजनीति चल रही है और दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा सम्बन्ध है।
2. उत्तर प्रदेश में लोगों में पर्यावरणीय राजनीतिक जागरूकता का अभाव है जिसके चलते नेतृत्व वर्ग मनमाने तरीके से उसका प्रयोग निहित फायदे के लिए कर रहा है।
3. वैधानिक नियमों की सक्रियता और निष्क्रियता का पर्यावरण संरक्षण से सार्थक सम्बन्ध है।

शोध प्रविधि (Research Methodology)-

प्रस्तुत शोध में विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, विवरण और अनुभवजन्य शोध पद्धति को अपनाया गया है। आंकड़ों का संग्रह करने के लिये विभिन्न तकनीकें जैसे कि अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। साथ ही अध्ययन की सामग्री संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के रूप में बुद्धिजीवियों एवं शोधार्थियों से उनके मंतव्य एवं जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया हैं। द्वितीयक स्रोत के रूप में विभिन्न पुस्तकों, शोध–प्रबंधों, पत्र पत्रिकाओं, जर्नल, इन्टरनेट, एवं अन्य साधनों का प्रयोग किया गया है।

अध्यायीकरण–

1. प्रस्तावना–वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्व के जनजीवन को पर्यावरणीय समस्याओं से बचाये रखना है, जनजीवन को सर्वाधिक खतरा हुए पर्यावरण से है। पर्यावरण में बदलाव होने के कारण जहॉ वर्तमान जनजीवन को बचाये रखने की चुनौती है वहीं पर हमारी भविष्य की पीढियॉ भी इससे बहुत दुष्प्रभावित होगी, इस समय जहॉ वर्तमान जनजीवन को बचाये रखना, वहीं पृथ्वी की भावी पीढ़ियों के जीवन को भी

सुरक्षा प्रदान करना है वरना कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी वर्तमान ऐशो आराम के लिये भावी जीवन को दुर्लभ बना ले। भूमण्डलीकरण के पश्चात् राष्ट्रों के मध्य अवरोध की जंजीरे तोड़ दी गयी। विश्व में उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा, राष्ट्रों ने तीव्र विकास हेतु अधिक से अधिक अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप विश्व में औद्यौगिकीकरण को तीव्र बढ़ावा मिला एवं औद्योगिकीकरण का बढ़ावा होने से राष्ट्रों के विकास की गति तीव्र हुई। विश्व के लगभग सभी देशों ने पर्यावरण की चिंता को दरकिनार कर अपने प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुन्ध दोहन किया, जिसके फलस्वरूप विश्व में पर्यावरण का संतुलन तेजी से बिगड़ने लगा तथा भूमण्डलीकरण के पश्चात् विश्व में जल संकट, वायु संकट, बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओजोन परत का ह्रास एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्यायें बढ़ने लगी। इन सभी में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विश्व में सबसे बड़ी समस्या उभरकर सामने आयी, जिसका दुष्प्रभाव प्रत्येक स्तर पर देखा गया। यहीं से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण को लेकर राष्ट्रों के मध्य राजनीति तेज हुयी। इन पर्यावरणीय समस्याओं का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साथ–2 राष्ट्रीय एवं राज्यों पर भी पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखाई पड़ा है जिसके चलते विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रदेश के विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर राजनीति देखी गयी। प्रदेश में जाने अनजाने में ही सही पर्यावरण एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है।

2. भूमण्डलीकरण, पर्यावरण एवं राजनीति– 1980 के दशक में विश्व में उदारवादी नीति के चलते भूमण्डलीकरण की नींव पड़ी।[1] जिसके फलस्वरूप राष्ट्रों के मध्य तमाम अवरोध की जंजीरें तोड़ दी गयी। जिससे विश्व भर में राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिला। अब औद्यौगिकीकरण कुछ ही देशों में सीमित रहकर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। जिसका तेजी से भार प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ा। जिसके दुष्प्रभाव स्वरूप अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं ने जन्म लिया। जिसमें वनों का ह्रास, वायु प्रदूषण,

[1]पंत, पुष्पेश, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, 2011

जल प्रदूषण, भूमिगत जल में कमी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्यायें प्रमुख रूप से है। जिन पर चिंतन व्यक्त करने हेतु राष्ट्रों के मध्य पर्यावरणीय राजनीति को बढ़ावा मिला। जिसके चलते विभिन्न राष्ट्रों एवं संस्थाओं के मध्य अनेक सम्मेलन एवं वार्तालाप हुयें। जिनका प्रभाव राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर भी पड़ा। इस पाठ में भूमण्डलीकरण, पर्यावरण एवं राजनीति तीनों की ही अलग–अलग व्याख्या की गयी है। तथा यह भी स्पष्ट किया गया है। कि भूमण्डलीकरण एवं राजनीति ने किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित किया हैं।

3. प्रदेश में पार्क निर्माण एवं राजनीति–उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत के हृदयस्थल में संस्कृतियों के मिलन और आस्था के संगम के अनोखे दृश्यों को समेटे एक अनूठा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के एक बेहद ही समृद्ध राज्यों में से एक है। जो कि राजनीति से लेकर पर्यटन में नम्बर वन है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरे उप–महाद्वीप की महान प्राचीन नदियों गंगा, यमुना और गोमती के किनारे संस्कृतियों और धार्मिक रीतियों का उद्‌गम हुआ। इतिहास गवाह है कि महान नदियों के किनारें ही गौरवशाली सभ्यताओं और नगरों का विकास हुआ है। भारत में गंगा, यमुना और गोमती के दोनों ओर बसे नगरों में जिन धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक परम्पराओं का विकास हुआ है उसने पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व को एक नई दिशा दी है। कवि, बौद्धिक जन और राजनेता हुए हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश अपने आप में एक अनुपम और अनूठा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश मूलतः ढेर सारे पर्यटन गंतव्यों का केन्द्र है। यह बात महत्व नहीं रखती कि पर्यटक क्या देखना चाहते हैं, यहां ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति के लिए रूचि का कारण बन सकती हैं। यहां अनेक ऐतिहासिक शहर, वन्य जीवन अभयारण्य, धार्मिक केन्द्र, पार्क, स्मारक और रोमांचक पर्यटन स्थल हैं। जिसके लिए पर्यटक यहां आना पसंद करते हैं।

   वास्तव में उत्तर प्रदेश के जीवन और सुन्दरता का एक परिपूर्ण अवलोकन हेरिटेज आर्क पर यात्रा करने से होता है। इस यात्रा में आप देखेंगे

ऐतिहासिक स्मारक, स्थापत्य कला के अनोखे नमूने, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीव, तीर्थस्थल और आत्मिक शांति प्रदान करने के अनेक प्रतीक। उत्तर प्रदेश में इस तरह के स्थानों को लेकर काफी राजनीति भी गरम रहती है। आज के समय राजनीति में धर्म और जाति का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। इसलिए लगभग सभी पार्टियां किसी न किसी धर्म या जाति को ज्यादा समर्थन करती हैं। यही कारण है कि उनके धर्म या जाति से सम्बन्धित ऐतिहासिक स्मारक, पार्क या तीर्थस्थलों के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। लेकिन यहां पर यह विचारणीय है कि पार्कों या तीर्थस्थलों का निर्माण आवश्यक है चाहे वह किसी धर्म या जाति से सम्बन्धित ही क्यों न हों। क्योंकि पर्यावरण को व्यवस्थित रखने में यह पार्क अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहॉ पर पार्कों के निर्माण की आड़ में बड़े स्तर पर सरकारी धन का दुरूपयोग एवं घोंटाले देखने को मिलें। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य राजनीति एवं एक दूसरे की आलोचना अवश्य ही देखने को मिली है।

4. प्रदेश में एक्सप्रेस वे निर्माण एवं राजनीति–भारत के किसी भी प्रदेश का विकास उस प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा किया जाता है और प्रदेश में विकास से सम्बन्धित जितना भी निर्माण कार्य होता है उसमें जमकर राजनीति भी होती है। यही कारण है कि हमारा देश विकसित न होकर विकासशीलता की श्रेणी में आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में कोई भी निर्माण कार्य बिना राजनीति के सम्भव ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिकरण तो अपने चरमोत्कर्ष पर है, बल्कि यूं कहें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सड़कों के निर्माण या किसी अन्य निर्माण को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा जमकर राजनीति होती रही है।

एक्सप्रेसवे क्या होता है, यह जानना हम सभी के लिए अतिआवश्यक है– हाई–स्पीड ट्रैफिक के लिए डिजाइन किये गये एक व्यापक हाईवे को एक्सप्रेसवे कहते हैं। एक्सप्रेसवे एक अंग्रेजी शब्द है, जिसका हिन्दी अर्थ है द्रुतगामी मोटरमार्ग। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजतीतिक दलों के द्वारा पार्को का निर्माण कराया गया जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इलाहाबाद

बाईपास एक्सप्रेसवे, बुद्धा एक्सप्रेसवे,यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद–नोयडा–गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा–ग्रेटर नोयडा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे,बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे आदि प्रमुख हैं। तथा इनके निर्माण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य जमकर राजनीति देखी गयी है।

5. प्रदेश में खनन व राजनीति– पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनिकर्म या खनन (Mining) कहलाता है। आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो गयी है कि प्रति वर्ष उनकी आवश्यकता करोड़ों टन की होती जा रही है। इस खपत की पूर्ति के लिए बड़ी–बड़ी खानों की आवश्यकता का उत्तरोत्तर अनुभव भी हुआ है। फलस्वरूप खनिकर्म ने विस्तृत इंजीनियरों का रूप धारण कर लिया है इसीलिए इसको खनन इंजीनियरी कहते हैं।

संसार के अनेक देशों में, जिनमें भारत भी एक है, खनिकर्म बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। वास्तव में प्राचीन युग में धातुओं तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसीलिए छोटी–छोटी खान ही पर्याप्त थी। उस समय ये खानें 100 फुट की गहराई से अधिक नहीं जाती थी। जहां पानी निकल आया करता था, वहां नीचे खनन करना असंभव हो जाता था। उस समय आधुनिक ढंग के पंप आदि यंत्र नहीं थे। खनन की वजह से सरकार को राजस्व हॉनि के साथ ही प्राकृतिक दैवीय खनिज की क्षति हो रही है। जिसको रोकने के लिए सरकार व जिला प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है। इस खनिज का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से पड़ रहा है। इस पर्यावरण में रहने की वजह से इसका असर मानव जीवन पर भी पड़ रहा है। लेकिन कोई भी इस गम्भीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जिसके परिणाम आने वाले समय में भयंकर हो सकते हैं। नदियों व तालाबों से खनन करके लाई गई रेत या बालू का परिवहन खुले वाहनों में किया जाता है जो हवा के साथ उड़कर पर्यावरण को दूषित

करती है। रेत के सूक्ष्म कण हवा में फैलने से वह सांस लेने पर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं जो हमारे फेफड़ों में एकत्र होकर नई नई बीमारियों को जन्म देते हैं। ये धूल के कण हमारी आंखों के लिए भी हॉनिकारक होते हैं। इतना ही नहीं कई बार रेत या बालू से भरे ट्रक, ट्रैक्टर आदि ओवरलोड होने की वजह से सड़क किनारे पलट जाती हैं जिससे सड़क पर जाम तो लगता ही है साथ ही अन्य वाहन आदि भी उसकी चपेट में आ जाते हैं, तथा उसमें सवार मजदूरों की मौत तक हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक संरक्षण में चल रहे खनन इस कारोबार को शासन व प्रशासन बंद कराने में असमर्थ है। नई खनन नीति–2017 का वर्णन, उसका महत्व एवं उसके प्रभावों का भी इसमें संक्षिप्त वर्णन है।

6. उपसंहार– इस अध्याय में शोधकर्ता द्वारा ली गयी परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है तथा उनसे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शोधकर्ता द्वारा व्याख्या की गयी है साथ ही शोधकर्ता द्वारा प्रथम अध्याय– प्रदेश में पार्क निर्माण एवं उस पर राजनीति, द्वितीय अध्याय– प्रदेश में एक्सप्रेसवेज निर्माण एवं उस पर राजनीति, तृतीय अध्याय प्रदेश में खनन एवं उस पर राजनीति आदि पर विष्लेषणात्मक चर्चा की गयी है इस अध्याय के अन्त में शोधकर्ता द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार व आम जनता दोनों के लिये ही अलग–अलग सुझाव दिये गये हैं।

शोध परिकल्पनाओं का परीक्षण–

शोध में दी गयी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिये शोधकर्ता द्वारा सम्भाव्य न्यादर्श (Probability Sampling) के अन्तर्गत सोद्देशीय न्यादर्श (Purposive Sampling) के माध्यम से कुल 250 लोगों को लिया गया। जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न चार भागों अवध प्रदेश, पूर्वांचल, पश्चिमांचल एवं बुन्देलखण्ड से सम्बन्धित थे। इन भागों में से एक–एक जिले जिसमें अवध से जिला सीतापुर, पूर्वांचल से जिला बहराइच, पश्चिमांचल से जिला शाहजहॉपुर, बुन्देलखण्ड से हमीरपुर जिले का चयन किया गया। इन जिलों का चयन इस लिये किया गया क्योंकि ये जिले पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे हैं। शोधकर्ता द्वारा इनमें से प्रत्येक जिले

के अर्न्तगत एक–एक गॉव/कस्बे का चयन किया गया जो कि उन जिलों में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे थे जिसमें जिला सीतापुर के अर्न्तगत रतौली गॉव, जिला बहराइच के अर्न्तगत नानपारा, जिला शाहजहॉपुर के अर्न्तगत पुवायां, हमीरपुर जिले से नगर हमीरपुर का चयन किया गया। इन सभी जगहों से 50–50 लोगों से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से उनके विचार लिये गये। इसके साथ ही 10 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, 10 पर्यावरण विशेषज्ञों, 10 खनन के जानकारों एवं 10 सड़क एवं एक्सप्रेस वे निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों तथा साथ ही 6 राजनीति विज्ञान विषय विशेषज्ञों एवं 4 अर्थशास्त्र विषय के विशेषज्ञों को लिया गया। साक्षात्कार के माध्यम से एवं साथ ही सभी को शोधकर्ता द्वारा तैयार की गयी प्रश्नावली प्रदान की गयी जो कि उनके विषय से सम्बन्धित थी इस प्रकार कुल 200 जनता से एवं 50 विशेषज्ञों सहित कुल 250 लोगों से उनके विचार लिये गये। जिसके आधार पर परिणामों को निकाला गया।

परिकल्पना (Hypothesis)-1

पर्यावरण की राजनीति और पर्यावरण को लेकर राजनीति चल रही है और दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा सम्बन्ध है।

	कुल	हॉ	नहीं
विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ	50	30	20
ळमीरपुर	50	35	15
बहराइच	50	24	26
सीतापुर	50	28	22
शाहजहॉपुर	50	26	24
कुल	**250**	**143**	**107**

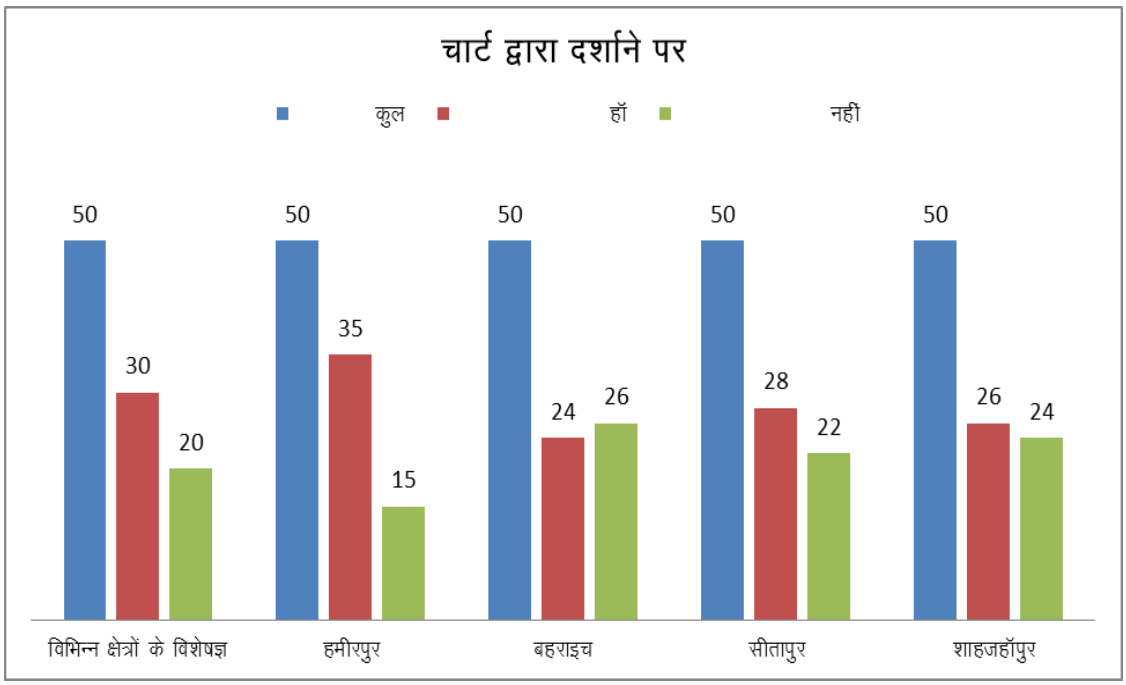

सभी आकड़ों को मिलाकर एक साथ पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाने पर निम्नलिखित परिणाम निकलकर सामने आये–

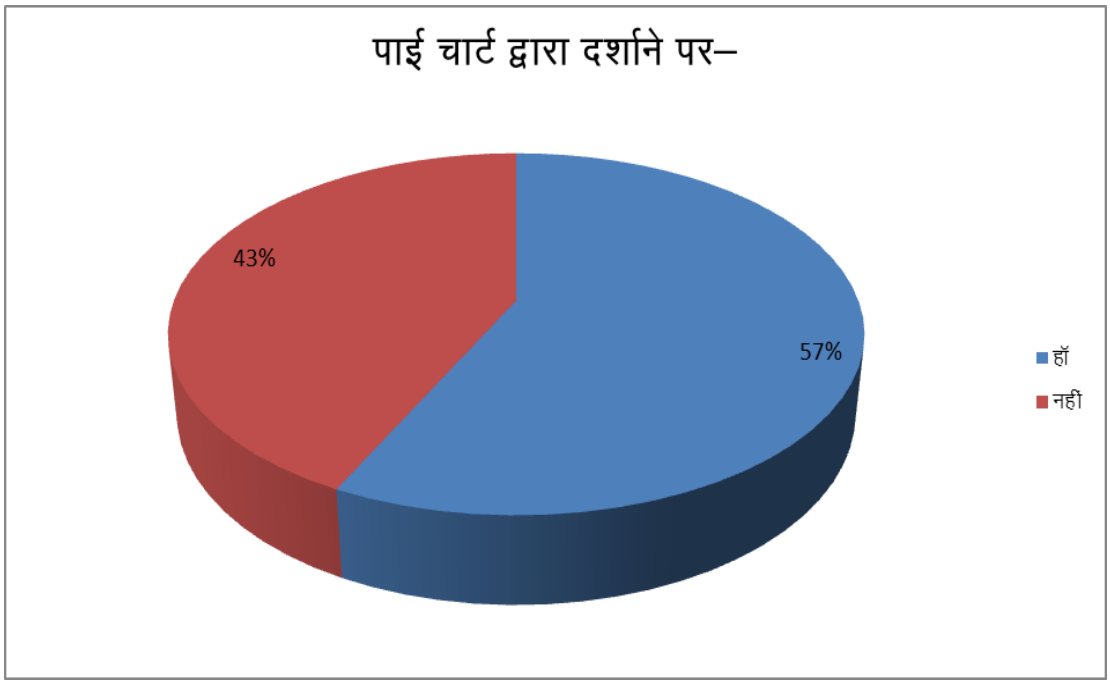

उपरोक्त दिये गये ऑकड़ों के हिसाब से पहली परिकल्पना एकदम सही साबित हुई है। इसमें 57(57.2) प्रतिशत लोगों ने यह माना है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को लेकर वाकई में राजनीति चल रही है। इसके साथ ही पर्यावरण एवं राजनीति में गहरा सम्बन्ध है। वही पर 43 (42.8) प्रतिशत लोगों ने यह माना है कि प्रदेश में

पर्यावरणीय मुद्दे पर राजनीतिक दलों के मध्य कोई राजनीति नहीं चल रही है। राजनीति एवं पर्यावरण के मध्य कोई राजनीति नहीं चल रही है। इसके साथ ही यह दोनों ही अलग–अलग विषय है। इनके अनुसार पर्यावरण को राजनीति के साथ जोड़ा जाना ठीक नहीं हैं।

<u>परिकल्पना (Hypothesis)</u>-2

उत्तर प्रदेश में लोगों में पर्यावरणीय राजनीतिक जागरूकता का अभाव है जिसके चलते नेतृत्व वर्ग मनमाने तरीके से उसका प्रयोग निहित फायदे के लिए कर रहा है।

	कुल	हॉ	नहीं
विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ	50	18	32
हमीरपुर	50	23	27
बहराइच	50	19	31
सीतापुर	50	21	29
शाहजहॉपुर	50	17	33
कुल	**250**	**98**	**152**

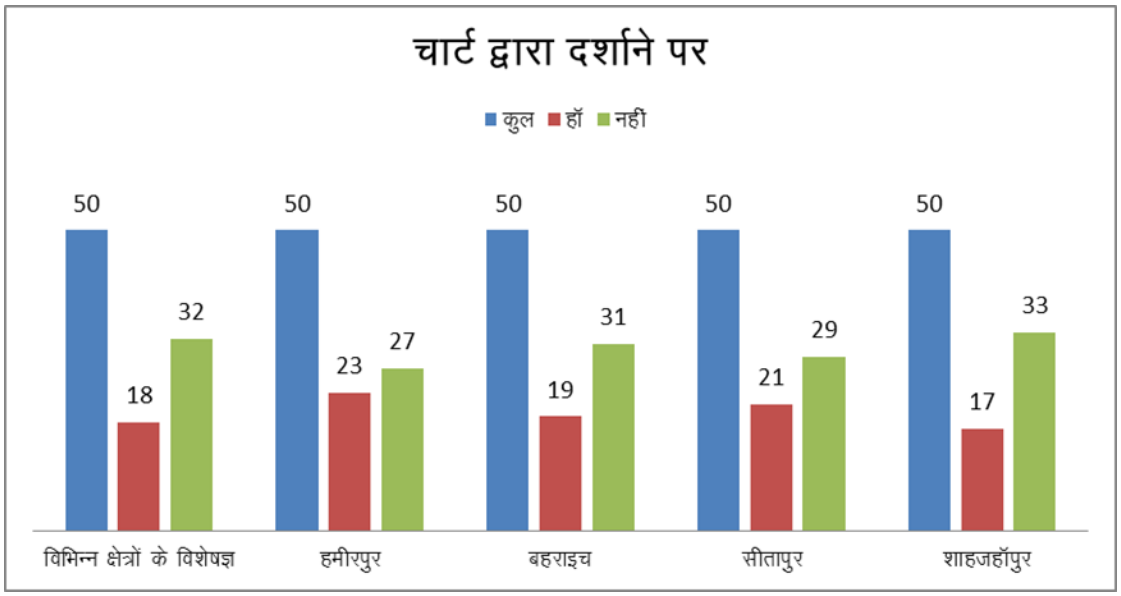

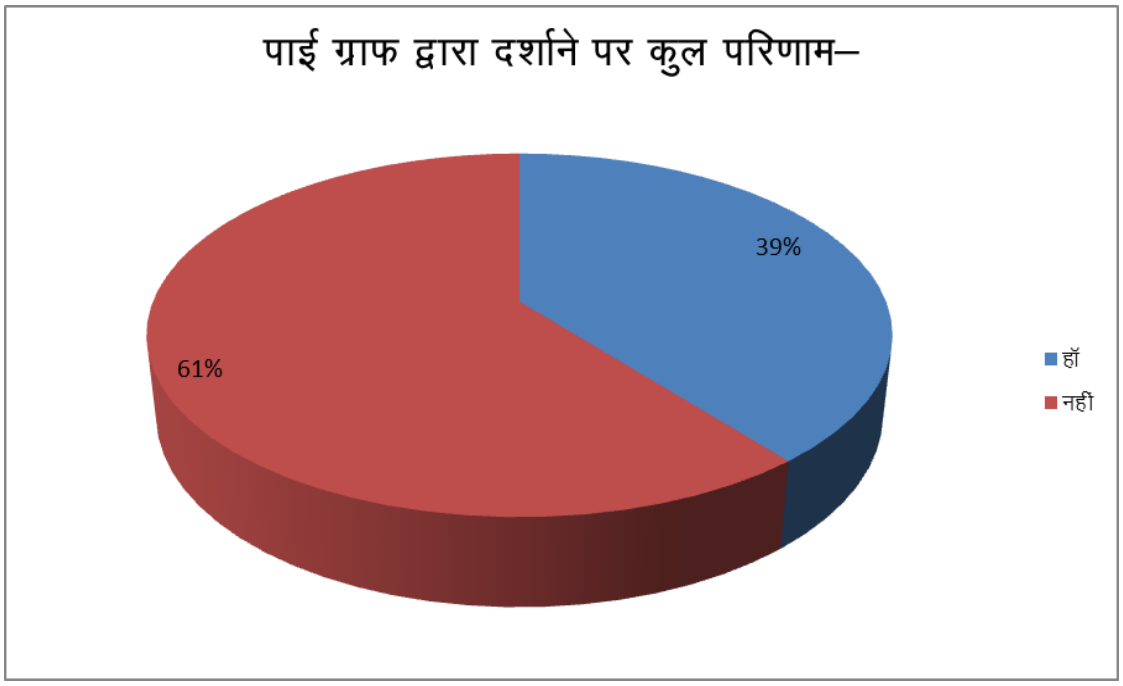

उपरोक्त परिणामों में कुल 250 लोगो में से 152 लोगों ने अर्थात् लगभग 61 (60.8) प्रतिशत ने यह स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश के लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता का अभाव नहीं हैं बल्कि जैसे–जैसे प्रदेश में पर्यावरणीय चुनौतियॉ बढ़ रही है, धीरे–धीरे यहॉ के लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। जब कि 98 लोगों ने अर्थात् लगभग 39 (39.2) प्रतिशत लोगों ने माना कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता में कमी है जिसके चलते प्रदेश में नेतृत्व वर्ग मनमाने तरीके से इसका प्रयोग अपने निहित फायदों हेतु कर रहा है।

अतः यह कहना गलत होगा कि यहॉ के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अभाव है तथा साथ ही वो पर्यावरण संरक्षण में अपनी रूचि भी ले रहे है। भूमण्डलीकरण के पश्चात् जैसे–2 प्रदेश में पर्यावरणीय चुनौतियों में वृद्वि हुई है। उनसे निपटने के लिये प्रदेश की सरकारों के साथ–2 जनता ने भी इसमें रूचि लेना प्रारम्भ किया है। केरल में शान्त घाटी आन्दोलन, मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओं आन्दोलन, उत्तराखण्ड में चिपको आन्दोलन कर्नाटक में एप्पिकों आन्दोलन इसके साथ ही वहॉ के पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक आन्दोलन चलाये जिसमें जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब पहले की अपेक्षा प्रदेश की जनता में अधिक

पर्यावरण के प्रति एवं इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। भूमण्डलीकरण के बाद उत्तर प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकारें रही हैं यदि उन्होंने प्रदेश में पर्यावरणीय चुनौतियों को जाने या अनजाने में नजरन्दाज किया हैं या प्रदेश के पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाया है तब प्रदेश की जनता ने उन्हें चुनाव में नजरन्दाज अवश्य ही किया है शायद इसीलिये भूमण्डलीकरण के पश्चात् प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों में अस्थिरता देखी गयी और वे लगाातार सत्ता प्राप्त करने में असफल रही हैं।

<u>परिकल्पना (Hypothesis)</u>-3

वैधानिक नियमों की सक्रियता और निष्क्रियता का पर्यावरण संरक्षण से सार्थक सम्बन्ध है।

	कुल	हॉ	नहीं
विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ	50	32	18
हमीरपुर	50	34	16
बहराइच	50	30	20
सीतापुर	50	27	23
शाहजहॉपुर	50	26	24
कुल	**250**	**149**	**101**

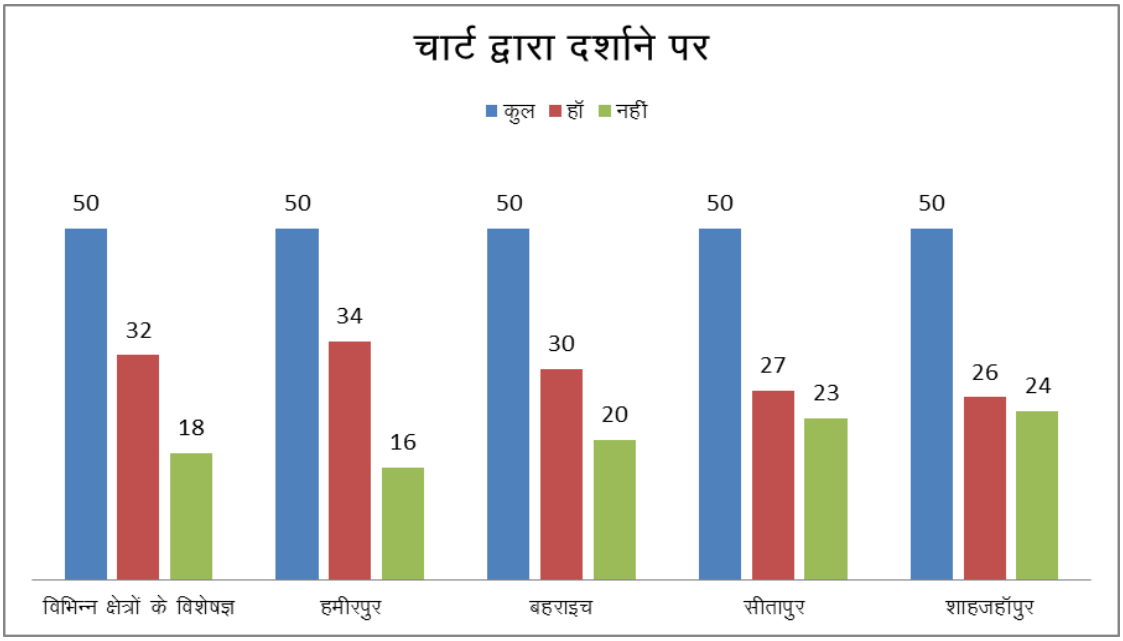

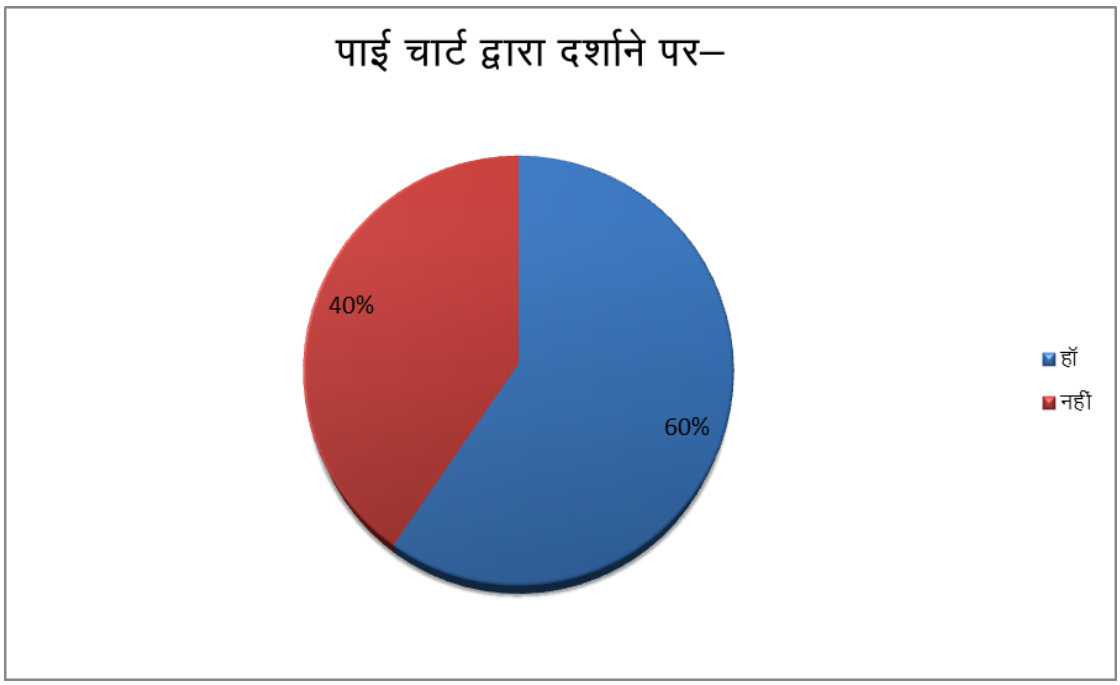

उपरोक्त परिणामों में कुल 250 लोगो में से 149 लोगों ने अर्थात् लगभग 60 (59.6) प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि वैधानिक नियमों की सक्रियता एवं निष्क्रियता का पर्यावरण संरक्षण से व्यापक रूप से सम्बन्ध है। जब कि 101 लोगों ने अर्थात् लगभग 40 (40.4) प्रतिशत ने यह माना कि वैधानिक नियमों की सक्रियता एवं निष्क्रियता का पर्यावरण संरक्षण से कोई विशेष लेना देना नहीं है इस प्रकार यह परिकल्पना भी सही साबित हुई है।

इस प्रकार वैधानिक नियमों की सक्रियता एवं निष्क्रियता का भी पर्यावरण संरक्षण से व्यापक रूप से सम्बन्ध है। अपनी इस परिकल्पना को परीक्षण करने हेतु उत्तर प्रदेश के चार भागों अवध, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और बुन्देलखण्ड के विभिन्न जिलों का अवलोकन किया गया। जिसमें जहॉ पर्यावरणीय अधिनियमों का कड़ाई के साथ पालन को रहा था वहॉ पर पर्यावरणीय समस्यायें कम देखी गयी एवं जहॉ पर वहॉ के शासन प्रशासन द्वारा पर्यावरणीय कानूनों के पालन में ढील दी गयी थी वहॉ पर पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधनों का दोषपूर्ण दोहन हो रहा था। वहॉ पर पर्यावरण की तीव्र गति से क्षति देखी गयी। जिसमें बांदा, हमीरपुर, बहराइच, लखीमपुर प्रमुख जिले शामिल है। वही पर सीतापुर, लखनऊ जिलों मे पर्यावरणीय अधिनियमों पालन में कड़ाई देखी गयी जिसके चलते वहॉ पर तुलनात्मक रूप से

पर्यावरणीय समस्यायेंकम दर्ज की गयी। पर्यावरण से सम्बन्धित नियमों की सक्रियता एवं निष्क्रियता का इस प्रकार व्यापक रूप से सम्बन्ध देखने को मिला।

भूमण्डलीकरण के दौर में उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय राजनीति आज अपने चरमोत्कर्ष पर है। ऐसी राजनीति देश को या प्रदेश को ऊंचाइयों पर नहीं बल्कि ऐसे धरातल पर लाकर छोड़ देती है, जहां से उबर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। हम यहॉ पर अपने उपरोक्त अवतरणों को पुनः प्रतिपादित कर रहे हैं, एक दृष्टि से देखा जाए तो जिन तथ्यों को हमने प्रस्तुत किया है उन्हीं का सिंहावलोकन न्याय से पुनरावलोकन कर रहे हैं। वर्तमान कालिक परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्व के जनजीवन को पर्यावरणीय समस्याओं से बचाये रखना है, जनजीवन को सर्वाधिक खतरा बदलते हुए पर्यावरण से है। बदलते पर्यावरण के कारण जहॉ वर्तमान जनजीवन को बचाये रखने की चुनौतियॉ बढ़ रही हैं, वहीं पर हमारी भावी पीढ़ियॉ भी इससे बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित होने की कगार पर हैं। इस समय वर्तमान जनजीवन को बचाये रखने के साथ ही हमें सम्पूर्ण पृथ्वी पर आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी सुरक्षा प्रदान करना है, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि हम अपने वर्तमान ऐशो आराम के लिये भावी जनजीवन को दुर्लभ बना दें। इसलिए हमें पर्यावरण को लेकर अवश्य ही गंभीरता से सोंचना चाहिए।

सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय समझौते, राष्ट्रीय विधायन, घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णयन तथा विद्वत जन द्वारा लिखे गये लेख आदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित होते हैं जो उपबंध (Norms) के रूप में स्वीकार किये जाते हैं तथा प्रमाणस्वरूप होते हैं। सन् 1972 के स्टाकहोम घोषणा में एक ही पृथ्वी की भावना को स्वीकार किया गया तथा विश्व के 119 देशों ने पर्यावरण को हो रहे नुकसान, प्रदूषण तथा पारिस्थितिकीय असंतुलन को खत्म करने के लिए साझा रणनीति तैयार कर वैश्विक सहयोग स्वरूप 26 सिद्धान्त घोषित किये गये। जिसके सिद्धान्त नं0 2 में पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जिसमें हवा, पानी, भूमि, वनस्पति तथा जीव सम्मिलित हैं को सतर्कतापूर्ण योजना एवं प्रबन्ध के साथ वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किये जाने पर बल प्रदान किया गया है।

सिद्धान्त 21 में स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्त के अनुसार राज्यों को अपने स्वयं के पर्यावरणीय नीतियों के अनुपालन में संसाधनों का दोहन करने का सम्प्रभु अधिकार है किन्तु इसके साथ यह दायित्व भी सुनिश्चित करें कि अपनी अधिकारिता के भीतर अथवा नियंत्रण में होने वाले कार्यवाहियों से राज्यों या राष्ट्रीय अधिकारिता की सीमा के परे क्षेत्रों के पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। अतः राज्यों के दोहन का प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि दायित्वाधीन है ताकि बाहरी क्षेत्रों के पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव–जन्तुओं एवं पेड़ पौधों की खतरे में पड़ी प्रजातियों के संरक्षण हेतु 1973 के अभिसमय के द्वारा व्यापार में कठोर विनियमन पर जोर दिया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992) में पर्यावरण एवं विकास को दृष्टिगत रखते हुए पोषणीय विकास को महत्व प्रदान किया गया ताकि लोगों के जीवन की उच्च गुणवत्ता बनी रहे। इस प्रकार खनन की कार्यवाही पोषणीय विकास को दृष्टिगत रखकर किये जाने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह भी देखा जाना आवश्यक होता है कि सीमा पर प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय छेड़–छाड़ के सम्बन्ध में प्रभावकारी निवारण एवं न्यूनीकरण हेतु राज्य सद्भावपूर्वक दूसरे राज्यों के साथ सहयोग करेंगे।

पर्यावरण के विषय में यदि हम इसकी मूल में जाएं तो विश्व स्तर पर दृष्टि डालने पर यह पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच मतभेद ने तूल पकड़ ली, इसके साथ ही इनके मध्य शस्त्र एवं सैनिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाने लगा। परमाणु अस्त्रों के निर्माण एवं उनके प्रयोग को लेकर दोनों राष्ट्रों के मध्य जैसे होड़ सी मच गयी। अब यह तय था कि परमाणु अस्त्रों के अंधाधुंध प्रयोग से सम्पूर्ण मानवजाति एवं पर्यावरण के विनाश को लेकर खतरा भी बढ़ेगा। अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति के फलस्वरूप भारत में भूमण्डलीकरण के पश्चात् जाति और धर्म केन्द्रित राजनीति की शुरूआत हुयी जिसके परिणाम स्वरूप पहचान की राजनीति का प्रादुर्भाव होने लगा। जिसके चलते भारत में 1989 के चुनाव के दौरान केन्द्र में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व घटने लगा तत्पश्चात् अनेक छोटे–बड़े दलों के मिश्रण से तैयार जनता दल सत्ता में आरूढ़

हुई और उसी के बाद मिलीजुली और गठबन्धन की सरकारों ने नये युग का सूत्रपात प्रारम्भ किया। फिर 1991 में राजीव गाँधी की निर्मम हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आयी, पर एक कमजोर स्थिति में ही रही। वैश्विक बदलाव और दवाब के चलते कमजोर कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में भारत में उदारीकरण की नीति को भी अपनाया। इसके पश्चात् केन्द्र में तो लगभग कांग्रेस का ही वर्चस्व बरकरार रहा पर भारतीय राज्यों में गठबन्धन की राजनीति के चलते क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनने लगी और जिसके फलस्वरूप उन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सरकारें आते ही देश के अनमोल संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना आरम्भ किया जिससे कि सभी अपने राज्य का समुचित विकास कर सकें और साथ ही अपनी जेबें भी भर सकें। इन पार्टियों ने ऐसी नीतियों को पास करवाया जिससे अधिकाधिक लाभान्वित भी हो सकें। इस तरह यहीं से आरम्भ होता है भारत में पर्यावरण का क्षय और विनाश।

प्रदेश में भूमण्डलीकरण एवं उदारीकरण के बाद यथार्थ की राजनीति पर अधिक जोर दिया गया। परन्तु निजी स्वार्थो की पूर्ति हेतु राजनीतिक पार्टियों ने यथार्थवादी पक्ष को अपनाया। प्रदेश में विकास को लेकर जो भी नीतियाँ बनायी गईं उन सब में उनका निजी स्वार्थ ही था। इसका मुख्य कारण यही है कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की बात को ध्यान में न रखते हुए मात्र अपनी तिजोरी ही भरने का ही काम किया गया। इन राजनीतिक दलों के स्वार्थमय रवैये के कारण प्रदेश में पर्यावरणीय समस्यायें उत्पन्न हो रही है।

1989 से 2017 तक विकास के नाम पर राजनीति हुई एवं पर उतना विकास नहीं हुआ।माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा केंद्र में सरकार एवं राज्य में सरकार के द्वारा प्रदेश का चौतरफा विकास किया है।वर्तमान में यह पहली बार है जब केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यह सभी लोग एक ही उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसके चलते केंद्र सत्ता एवं राज्य सरकार के बीच राजनीतिक तालमेल बहुत ही बेहतर बैठ रहा है जिसके कारण केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को समय–समय पर उसके तेजी से विकास हेतु अधिक ध्यान दिया जा रहा है अतः केंद्रीय सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य

का बहुत तेजी से विकास हुआ है साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु जो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को अपनाया गया है वह भी पर्यावरण के संरक्षण में कारगर सिद्ध हो रहा है। 2017 से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत तेजी से प्रदेश का विकास किया है तथा प्रदेश के विकास के साथ–साथ उन्होंने प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण को भी उचित वरीयता दी है साल 2017 से लेकर के अब तक हर साल मानसून सत्र करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2024 तक भारत की कुल इकोनामी 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है इस लक्ष्य को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक उत्तर प्रदेश की कम से कम 1 ट्रिलियन इकोनामी नहीं हो जाती। अतः उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास होना आवश्यक है जिस पर केंद्र सरकार भी तेजी से ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोड मैप को तैयार एवं उसके निर्माण हेतु स्वीकृति दे दी गई है। अतः उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के विकास के साथ–साथ पर्यावरण के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अतः विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में तालमेल बैठाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने केंद्र एवं केंद्र की नीतियों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास किया है प्रदेश में महिला उज्जवला योजना के तहत 1 लाख 72 हजार परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए हैं, इससे पहले इन घरों में लकड़ी या कोयले से भोजन पकता था जिसका निकलने वाला धुआं घरों एवं पर्यावरण को प्रदूषित करता था। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 75 जिले खुले में शौचालय मुक्त घोषित किए गये हैं। अकेले 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय दिए गए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन लगातार दो वर्ष गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज किया गया। मथुरा में कृष्णोत्सव, वाराणसी में देव–दीपावली तथा बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है 133 करोड़ रुपए से अयोध्या का समेकित पर्यटन किया जा रहा है। वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र तथा पूर्व

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्म स्थल बटेश्वर का विकास किया जा रहा है। गोरखपुर में रामगढ़ पार्क में वाटर स्पोर्ट्स, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा चंदौली में देवदरी –राजदरी वाटरफॉल का निर्माण किया जा रहा है। मात्र तीन वर्षों के कार्यकाल में 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड पर्यटकों का आगमन हुआ है रामायण सर्किट के अंतर्गत 69.45 करोड़ रुपए से चित्रकूट एवं रंगेश्वरपुर का पर्यटन विकास किया जा रहा है, बौद्ध सर्किट के अंतर्गत श्रावस्ती, कपिलवस्तु एवं कुशीनगर का विकास किया जा रहा है

प्रदेश के पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 341 किमी लंबे चौड़े पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का निर्माण पूरा हो रहा है बुंदेलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए 297 किमी0 लम्बे बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी कराया जा रहा है जो बुंदेलखण्ड क्षेत्र को आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे के माध्यम से दिल्ली को जोड़ेगा। जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस–वे का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इसके साथ ही कानपुर, झांसी, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ शहरों के लिए मेट्रो का रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट के निर्माण का कार्य प्रगति पर है लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के तहत लगभग 23 किमी कॉरिडोर का संचालन प्रारम्भ हो चुका हैं।

जुलाई 2018 में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश भर में कुल 11 करोड़ पौधे लगाए गए, इसी प्रकार से 2019 में 22 करोड़ पौधे एवं 2020 में 25 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया। अतः उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे प्रदेश का बहुत ही तेजी के साथ विकास कर रही है तथा विकास के साथ–साथ उसने पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा है, जिससे कि सतत् सम्पोषणीय विकास की अवधारणा को कारगर बनाया जा सके।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 (क) में प्रावधान है कि 'राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।' अनुच्छेद 51 (क) में उपबन्ध है कि ''भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और

वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करे और उनका संवर्द्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।''

अब यदि पर्यावरण की बात पर ध्यान दिया जाए तो हम सब भी इसके विध्वंस के जिम्मेदार हैं। प्रदेश में कोई भी विभाग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है। प्रदेश में क्षेत्र के हिसाब से दो समूह आते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र एवं दूसरा शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरणीय समस्यायें इसलिये पैदा हो रही हैं क्योंकि वहाँ के लोगों में पर्यावरण की उतनी अधिक जानकारी नहीं हैं और नहीं वो लोग अपने आपकों इस विषय से प्रभावित समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों का ह्रास, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, सिंचाई हेतु असंतुलित जल का प्रयोग, जानवरों का अधिक शिकार आदि देखने को मिलता है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के काम जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं जैसे कूड़ा–करकट, नालियों में प्रतिदिन साफ–सफाई का अभाव एवं औद्योगिक अवशिष्ट तथा अत्यधिक यातायात के साधनों का प्रयोग आदि होता है। शहरी एवं ग्रामीण दोनो ही क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रदूषण के कारण जीवन की गुणवत्ता, असंतुलित पारिस्थितिकी तंत्र एवं खाद्य श्रृंखला, बाढ़ एवं सूखा, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ आदि उत्पन्न हो रही है। यदि इसी प्रकार से प्रदूषण बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब पृथ्वी जीवन के अनुकूल नहीं बचेगी।

इसलिए समाज के विभिन्न समूहों युवा, महिलायें, बच्चे, बूढ़े आदि लोगों को चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, इन दोनों ही स्तरों पर लोगों को पर्यावरण के प्रति विभिन्न माध्यमों से जागरूक करना होगा। यदि हम देखें तो इसके प्रति जागरूकता लाने में ग्रामीण स्तर पर अपना विशेष योगदान ग्राम प्रधान एवं इसके सहयोगी अंग, स्कूल अध्यापक, कृषक, मजदूर, नेता, गांव के शिक्षित व्यक्ति आदि दे सकते हैं। इसी प्रकार से शहरी स्तर पर विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, कवि, अभिनेता, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु विभिन्न संस्थाओं यथा मीडिया, स्कूल, एन0सी0सी0 ग्रुप, युवा समूह एवं खेल समूह, सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं का योगदान देने की आवश्यकता है। इस तरह से

विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समूहों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की बात होनी चाहिए। परन्तु यदि समाज में देंखे तो लगभग ये सभी समुदाय कुछ न कुछ योगदान अवश्य देते हैं, अगर पर्यावरण के संरक्षण को लेकर बात करें तो विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने भी इसमें रूचि ली है अतः पर्यावरण संरक्षण एवं उभरती पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने हेतु इसमें सरकारों के साथ–साथ सभी संस्थाओं, सभी वर्ग के लोगों की भूमिका आवश्यक है। तभी हम पर्यावरण को अपने वर्तमान प्रयोग के साथ–साथ इसे भावी पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रख पायेगें।

सुझाव–वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय अधिनियमों को और अधिक कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज प्रदेश में अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु एसटीएफ काम कर रही है उसी की तर्ज पर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण कानूनों को और कड़ाई से पालन कराने हेतु ईपीएफ (एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स) की स्थापना की जानी चाहिए तथा उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान रखते हो। उसमें विशेषज्ञता के आधार पर लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए ताकि ईपीएफ के द्वारा जहां कहीं भी प्रदेश में पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हो, वहॉ तत्काल उस पर कार्यवाही करे एवं जिनके द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुॅचाया जाता रहा है। उनमें ईपीएफ का भय बना रहे।

अन्त में शोधकर्ता द्वारा अपने शोध में यह पाया गया कि भूमण्डलीकरण के पश्चात् प्रदेश सहित पूरे देश में पर्यावरण के अवनयन हेतु सरकारों के साथ–साथ जनता भी इसके लिये जिम्मेदार है। अतः पर्यावरण के संरक्षण का विचार तब तक कारगर नहीं हो सकता है जब तक कि सरकारों के साथ–साथ आम जनता इसके संरक्षण में रूचि न ले। अतः शोधकर्ता द्वारा सरकारों एवं आम जनता दोनों को ही पर्यावरण संरक्षण हेतु अलग–अलग निम्नलिखित प्रमुख सुझाव दिये गये हैं–

सरकारों को सुझाव–

1. सरकार द्वारा पेड़–पौधों के संरक्षण सम्बन्धी कानूनों को अधिक कड़ाई से लागू किया जाए। साथ ही सरकार को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु

जिम्मेंदार एजेंसियों को और अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए ताकि उन्हें निर्णय लेने में आसानी हो।

2. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सरकार को विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार का सहारा लेना चाहिए। साथ ही सरकार को हरें भरे पार्कों के निर्माण, वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्कों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए।
3. खनन जहॉ आवश्यक हो सरकार को वही पर खनन करवाना चाहिए, मानक से अधिक गहराई तक खनन नहीं होना चाहिये। खनन के दौरान पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए।
4. जहॉ तक आवश्यक हो सड़क एवं एक्सप्रेस–वे निर्माण के दौरान हरे–भरे पेंडों को काटने से बचना चाहिए।सड़क एवं एक्सप्रेस–वे निर्माण के दौरान यदि पेडों को काटा गया है तो उनके स्थान पर सड़क के दोनों ओर नये पौधों को अतिशीघ्र रोपित कर देना चाहिए ताकि काटे गये वृक्षों की क्षतिपूर्ति भविष्य में हो सके।
5. सरकार को कूड़ा–कचड़ा, प्लास्टिक, एवं अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। शहरों के नालों से निकलने वाले गन्दे जल एवं अवशिष्ट पदार्थो को नदियों में नहीं गिराना चाहिए उसके निस्तारण हेतु सरकार को उचित प्रबन्ध करना चाहिए।
6. सरकारों को स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम को और कड़ाई से लागू करना चाहिए तथा स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हेतु उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।स्थानीय स्तर पर उन्हीं लोगों को कालोनी, राशन कार्ड एवं अन्य सुविधाए इत्यादि मुहैया कराया जाना चाहिए जो लोग पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे तथा निर्धारित मानक में पेंड़ों को लगाये तथा उनका संरक्षण एवं संवर्धन करें।

<u>आम जनता को सुझाव</u>–

1. पर्यावरण संरक्षण के लिये यह बहुत जरूरी है कि लोगों को इसके लिये विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जागरूक किया जाये तथा साथ ही उनके द्वारा लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिये प्रेरित किया जाये।

2. कृषि में कीटनाशक दवाओं एवं रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग किया जाये उनके स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग किया जाये। कृषकों को खेतों में पलाव इत्यादि को जलाना नहीं चाहिए बल्कि उसका निस्तारण किया जाना चाहिए।
3. पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े से बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए।जन्म दिवस, शादी–ब्याह, दीपावली आदि होने पर पटाकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए या पटाकों के स्थान पर गुब्बारों के प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए।
4. परम्परागत ऊर्जा के स्थान पर ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिये।अपने घरों में उजाले के रूप में परम्परागत बल्ब के प्रयोग के बजाए आधुनिक सी0एफ0एल0 एवं एल0ई0डी0 बल्बों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ए0सी0, एवं फ्रिजों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए।
5. पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकारों की जिम्मेदारी के साथ साथ जनमानस को भी अपनी जिम्मेंदारी समझनी चाहिए, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक या दो पेंड़ अवश्य ही लगाने चाहिए।
6. हमें पेंड़–पौधों एवं सभी जीव जन्तुओं के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए तथा उनका संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।